

प्रश्न सं. [क. 469]

विधानसभा स्तर जुलाई - 2025 के अंतरांकित प्रश्न क्रमांक 469 के
प्रश्नार्थ "क की जानकारी

माननीय सदस्य - श्री देवेन्द्र कुमार जैन खदन में उत्तर देने का दिनांक - 28.7.

कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्याद शिवपुरी (म0प्र0)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 469 अंतरांकित के उत्तर के संबंध में

(राशि करोड़ में)

क्र०	गबनकर्ता का नाम	वसूली योग्य राशि रु.	वसूल की गई राशि रु.	वसूली का माध्यम	वसूली योग्य शेष राशि रु.	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	राकेश पाराशर	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	2.22	नगदी जमा		माननीय न्यायालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी द्वारा दिनांक 19.12.2023 को राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित की गयी है।
2	राकेश कुलश्रेष्ठ	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		
3	सौरभ मतेहन	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		
4	ज्ञानेन्द्र दत्त शुक्ला	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		
5	रमेश कुमार राजपूत	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		
6	प्रभात भार्गव	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		
7	रामप्रकाश त्यागी	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		
8	हरीवंशशरण श्रीवास्तव	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		
9	श्रीमती शीला शर्मा पत्नी स्व० श्रीकृष्ण शर्मा	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00	78.38	
10	अमित शर्मा पुत्र स्व० श्रीकृष्ण शर्मा	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		
11	श्रीमती ज्योति शर्मा पुत्री स्व० श्रीकृष्ण शर्मा	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		
12	कु० एकता शर्मा पुत्री स्व० श्रीकृष्ण शर्मा	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		
13	श्रीमती सरिता जैन पत्नी स्व० श्री शिखर चंद जैन	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		
14	यतन जैन पुत्र स्व० शिखरचंद जैन	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिग्री पारित	0.00	0.00		

15	यादवेन्द्र सिंह यादव	राशि रुपये 80.60 करोड़ की संयुक्त डिक्री पारित	0.00	0.00	
	योग:-	0000	2.22	0.00	78.38

नोट:- उक्त गबन के प्रति गबनकर्ता राकेश पाराशर तत्कालीन प्रभारी कैशियर के द्वारा सर्वेय
परिजन एवं नोकर के माध्यम से राशि रुपये 2.22 करोड़ राशि गबन प्रकाश में आने के समय
जमा करासी गयी थी तथा कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा जारी नोटिस अन्तर्गत राशि रुपये
700050/- शिव एण्ड कंपनी द्वारा दिनांक 14.06.2023 को एवं राशि रुपये 15000/- राजा
यश गांधी द्वारा दिनांक 21.06.2023 को जमा कराये गये है इस प्रकार उक्त गबन प्रकरण में
कुल राशि रुपये 22915000/- दो करोड़ उन्तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र जमा हुये है ।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सम्तकारी बन्दीय बैंक (पब्लिक)
15/7/25

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग